न्यायालय– अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–09, मेरठ।

सिविल अपील सं0– 165/2018

नीलम बनाम दीवान

25.05.2022–

निस्तारण प्रार्थना पत्र 24ग

प्रार्थना पत्र 24ग अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत अपीलार्थी/वादी की ओर से दस्तावेज दाखिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा कहा गया है कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद सं0 270/2016 श्रीमती नीलम आदि बनाम दीवान न्यायालय सिविल जज सी0डि0 मेरठ में इस आशय से प्रस्तुत किया था कि वादीगण मकान सं0 420 भगवतपुरा मेरठ शहर को बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2015 बिल एवं अंकन पांच लाख रूपये में खरीद किया जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक–3 मेरठ के यहां दर्ज की गयी। प्रश्नगत भवन का विक्रय पत्र कराने से पूर्व प्रतिवादी दीवान से एक रजिस्टर्ड इकरारनामा माहिदा बय दिनांक 04.03.2015 अंकन पांच लाख रूपये में कराया था और इकरारनामा के दिन से ही रूपये अंकन चार लाख पचास हजार रूपये अपीलार्थीगण/वादीगण को अदा किय थे तथा शेष अंकन पचास हजार रूपया वरवक्त बैनामा दिनांक 14.07.2015 को प्रतिवादी को अदा किये इस प्रकार वादीगण ने विक्रय पत्र निष्पादित होने की दिनांक को ही मकान पर कब्जा बहैसियत मालिकाना प्राप्त कर लिया व काबिज व दखील हो गये। प्रतिवादी/विपक्षी ने अपीलार्थी से यह आग्रह किया था की उसकी पुत्री की शीघ्र की शादी होने वाली है तथा दो माह के लिए उक्त मकान में रहने के लिए दे दे, प्रश्नगत भवन बहैसियत लाइसेन्सी रहने के लिये दे दिया। प्रतिवादी/विपक्षी ने दो माह की अवधि बीत जाने के पश्चात उक्त मकान खाली नहीं किया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने सिविल जज सी0डि0 के समक्ष एक वाद सं0 270/2016 श्रीमती नीलम आदि बनाम दीवान योजित किया तथा अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2017 के द्वारा इस आशय से खण्डित कर दिया क्योंकि वादीगण/अपीलार्थी ने पत्रावली पर पंजीकृत इकरारनामा व पंजीकृत विक्रय पत्र दाखिल नहीं किया था। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर एक रिव्यू प्रार्थना पत्र 3ग2 प्रस्तुत किया गया उक्त रिव्यू के साथ इकरारी बैनामा की रोम प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की परन्तु अवर न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी उचित कारण के खण्डित कर दिया। अवर न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध होकर यह सिविल अपील योजित की है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र व सूची द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

विपक्षी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर कहा है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं वेग है तथा कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र में इस आशय का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है कि अपीलार्थीगण प्रस्तुत कागजात को पूर्व में क्यों दाखिल नहीं कर सके हैं, जबकि अपीलार्थीगण जिन कागजातों को दाखिल करना चाहते हैं, उनके तथाकथित इकरारनामा दिनांक 04.03.2015 का है तथा विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2015 का है, जो पूर्व से ही अपीलार्थीगण के कब्जे व पहुंच में है इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण तथाकथित वाद सं0 722/2015 के वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना चाहता है, उक्त दोनों प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 12.03.2020 को प्राप्त कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा इस आशय का कोई कथन प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है कि उक्त कागजात अपील के निस्तारण हेतु किस प्रकार आवश्यक हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील में अनावश्यक देरी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र उपरोक्त खण्डित फरमाया जाकर आपत्ति पत्र स्वीकार किया जाये।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त साक्ष्य लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। जहां तक अतिरिक्त साक्ष्य लेने का प्रश्न है इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विधिक**

निर्णय संजय कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य 2022 लाईव लॉ (एस0सी0) 268 के मामले में यह अवधारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 41 नियम 27 अपीलीय अदालत को असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जहां अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की मांग की गयी है, मामले पर संदेह के बादल को हटा देता है और साक्ष्य का वाद में मुख्य मुददे पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है और न्याय के हित में स्पष्ट रूप से अनिवार्य हो जाता है कि इसे रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाये, तब ऐसे आवेदन को स्वीकर किया जा सकता है– अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता इस मुददे की प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं करती है, या यह तथ्य कि आवेदक के पास इस तरह के साक्ष्य को पहले चरण में जोडने का अवसर था या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय अदालत को निर्णय सुनने में सक्षम बनाने के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं।

प्रस्तुत मामले में जो वादी का वाद अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 03.05.2017 द्वारा निरस्त किया गया है उसमें मुख्य रूप से यह आधार है कि वादी की ओर प्रश्नगत भवन की बाबत इकरारनामा महायदा बय दिनांकित 04.03.2015 का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही विक्रय पत्र दिनांकित 14.07.2015 की रजिस्ट्री के बाबत कोई साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय रूप से साबित करने में असफल रहा है। इस कारण वादी का वाद एकपक्षीय रूप से निरस्त किया गया।

चूंकि प्रस्तुत मामले में इकरारनामा एवं विक्रय पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है और अवर न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रपत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर उपरोक्त वाद निरस्त किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इसे दाखिल न किये जाने का मुख्य कारण यह बताया है कि प्रतिवादी केवल लाईसेंसी के आधार पर प्रश्नगत भवन में रह रहा था, चूंकि खाली करने के लिए यह वाद दायर किया था जिसमें वादी द्वारा प्रश्नगत बैनामा व इकरारनामा के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया था इस कारण उसके द्वारा उपरोक्त बैनामा व इकरारनामा दाखिल नहीं किया गया, क्योंकि उपरोक्त वाद मुख्य रूप से बैनामा व इकरारनामा प्रस्तुत मूलवाद में दाखिल नहीं किया गया इसलिए वह इस वाद में बैनामा व इकरारनामा दाखिल करना चाहता है जिस आधार पर न्यायालय सम्यक रूप से इस मामले का निस्तारण कर सके।

प्रस्तुत मामले में जो अवर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया वह उपरोक्त दोनों दस्तावेज इकरारनामा व विक्रय पत्र वादी द्वारा दाखिल न किये जाने के आधार पर वाद निरस्त किया गया है। इस मामले के निस्तारण के लिए दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनको अपील में लिये जाने पर अपील में गुण–दोष पर निर्णय पारित करने में आवश्यकता होगी। उपरोक्त मामले के तथ्यों को दृष्टिगण रखते हुए अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 24ग के साथ दाखिल कागजात सूची से दाखिल प्रपत्र का0सं0 01 ता 04 रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र 24ग निस्तारित किया जाता है।

अपर जिला जज
न्यायालय सं0–09, मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.